सं0-14-1/2016/305/62-2-2016-2/3(19)/2016

प्रेषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 05 फरवरी,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन नई योजना ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिग चेकडैम का निर्माण (नाबार्ड पोषित) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-304/ल0सिं0/बजट-3/आर0आई0डी0 एफ0/2015-16, दिनांक 28.01.2016 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन नई योजना ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिग चेकडैम का निर्माण (नाबार्ड पोषित) हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि `-3371.81 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप मे धनराशि `-1348.72 लाख शासनादेश सं0-1546/62-2-2015-2/2(19)/2015, दिनांक 11.9.2015 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार अवशेष धनराशि `-2023.09 लाख मे से द्वितीय किश्त के रूप में `-1348.72 लाख (रू0-तेरह करोड अडतालीस लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निस्तारण पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय शासनादेश सं0-1546/62-2-2015-2/2(19)/2015, दिनांक 11.9.2015 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-भूजल-09-ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिग चेकडैम का निर्माण (नाबार्ड पोषित)-24-वृहद निर्माण कार्य"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-3-2015 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,
ह0/
(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

सं0-14-1/2016/305(1)/62-2-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन।
6- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
7- संबंधित अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड।
8- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
9- एन0आई0सी0 की प्रति।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।